फार्म नम्बर 2

(देखिए नियम 8 एन.डी.पी.एस. नियम 1985)

अफीम की खेती, अफीम अथवा डोडा चूरा पैदा करने के अनुसार/लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु

पार्थना पत्र

कृषि वर्ष

(1) *कृषक का नाम* .....

(2) *पिता का नाम* .....

(3) *गांव* .....

तहसील .....

जिला .....

(4) *अफीम पैदा करने वाले खेत का खसरा नम्बर* .....

(5) *क्या खेत राजस्व अभिलेख (रेवेन्यू रेकार्ड) के अनुसार प्रार्थी के नाम में है, यदि नहीं तो किसके नाम है ।* .....

(6) *क्या कॉलम नम्बर 4 में वर्णित खेत में सिंचाई के साधन हैं (सिंचाई के उपलब्ध प्रकार जैसे कुंआ, ट्यूबवेल आदि)* .....

(7) *अफीम काश्त के लिए रकबे की मांग* .....

(8) *क्या प्रार्थी ने पूर्व में भी अफीम की काश्त की थी, यदि हां तो वह वर्ष जिसमें अन्तिम बार अफीम की काश्त की हो ।* .....

(9) *क्या कृषक कभी अफीम काश्त हेतु बाधित (प्रोसर्काइन्ड) था या मिश्रित अफीम देने, बेशी काश्त करने, विभागीय नियमों की अवहेलना करने के कारणों से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने से वंचित रहा । यदि हां तो वर्ष व किन कारणों से बाधित (प्रोसकाईन्ड) रहा ।* .....

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त तथ्य/दिये गए विवरण सही है और भूमि (खेत) जिसकें काश्त करनी है वह विवादग्रस्त नही है ।

लम्बरदार द्वारा अभिप्रमाणित *हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कृषक*

नोट *- कृषक द्वारा दिये गए विवरण सही नहीं पाये जाने पर अफीम की खेती करने का अनुज्ञा- पत्र (लाइसेन्स) निरस्त किया जा सकता है ।*

कार्यालय उपयोग हेतु

(प्रभारी उप निरीक्षक द्वारा पूर्ति करने हेतु)

(अ) कृषक का गत कृषि का खेती का विवरण .....

कृषि वर्ष .....

रकबा बन्दोवस्ती .....

रकबा पेमाइशी .....

शुद्ध उत्पादक रकबा .....

औसत पैदावार 70 पर .....

(ब) क्या कृषक कभी बेशी काश्त करने का या .....

विभागीय नियमों की अवहेलना करने या मिश्रित .....

अफीम देने आदि के लिए बाधित किया गया था .....

यदि हां तो उसका विवरण .....

दिनांक ..... (प्रभारी उप निरीक्षक)

उपरोक्त विवरण जो प्रभारी उप निरीक्षक ने अभिलेखित किया, मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया । अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता रखता है/नहीं रखता है ।

दिनांक ..... (प्रभारी निरीक्षक)

जिला अफीम अधिकारी द्वारा

आवंटित रकबा .....

दिनांक ..... (जिला अफीम अधिकारी)